भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-107

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

पीएम पोषण योजना

†107. **श्री बैजयंत पांडा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छात्रों को प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता और पोषण का मूल्यांकन करने के लिए प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) (पूर्ववर्ती मध्याह्न भोजन) योजना के संबंध में कोई अध्ययन, सर्वेक्षण या अनुसंधान कराया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषण का आकलन करने के लिए क्या- क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;
(ग) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश/ ढांचा तैयार किया गया है कि छात्रों को प्रदान किया जाने वाला मध्याह्न भोजन अनुशंसित कैलोरी और पोषक तत्व ग्रहण की आवश्यकताओं को पूरा करता है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस योजना का उन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है**,** ताकि बालवाटिका (कक्षा 1 से ठीक पहले) और सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सभी स्कूल कार्य दिवसों में एक बार गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। योजना के सुचारू संचालन और योजना के दैनिक प्रशासन की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है। योजना के तहत पोषण और खाद्य मानदंड इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	मद	प्राथमिक और बालवाटिका	उच्च प्राथमिक
क)	**प्रति बच्चा प्रति दिन पोषण मानदंड**		
1.	कैलोरी	450	700
2.	प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
ख)	**प्रति बच्चा प्रति दिन भोजन मानदंड**		
1.	खाद्यान्न	100 ग्राम	150 ग्राम
2.	दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
3.	सब्जियाँ	50 ग्राम	75 ग्राम
4.	तेल और वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5.	नमक और मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

गुणवत्ता और पोषण सुनिश्चित करने हेतु, भोजन फोर्टिफाइड चावल (आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन), डबल फोर्टिफाइड नमक (आयरन और आयोडीन) और फोर्टिफाइड तेल (विटामिन ए और डी) से तैयार किया जाता है। कई राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अतिरिक्त खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, फल, दूध, रागी माल्ट और चिक्की आदि भी उपलब्ध करा रहे हैं।

भारत सरकार ने योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। ये दिशा-निर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। पीएम पोषण योजना के दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों को भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुएं खरीदने, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण देने, बच्चों को गर्म भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन चखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के माध्यम से भोजन का परीक्षण करने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, या कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, योजना के कामकाज पर समय-समय पर सामाजिक ऑडिट करेगा या करवाएगा और अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से आवश्यक कार्रवाई करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी जिलों में कम से कम 20 स्कूलों या 2% स्कूलों में, जो भी प्रत्येक जिले के लिए अधिक हो, सामाजिक लेखा परीक्षा करना आवश्यक है। सामाजिक लेखा

परीक्षा निष्कर्षों पर कार्रवाई करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पीएम पोषण योजना को लागू करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नोडल विभाग की है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो किसी भी मामले में कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का होगा। भारतीय खाद्य निगम प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत कम से कम उचित औसत गुणवत्तायुक्त (एफएक्यू) खाद्यान्न की आपूर्ति में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। जिला कलेक्टर/जिला पंचायत के सीईओ यह सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम उचित गुणवत्तायुक्त (एफएक्यू) खाद्यान्न, एक टीम, जिसमें एफसीआई और कलेक्टर और/या जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत के नामिती शामिल हों, के द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद उठाया जाए और उनके द्वारा पुष्टि की जाए कि अनाज कम से कम एफएक्यू मानदंडों के अनुरूप है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से उनके होटल प्रबंधन संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों, एफएसएसएआई, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से पोषण, खाना पकाने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे अनाज और सब्जियों की तैयारी, व्यंजनों, परोसने के कौशल आदि पर रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यान्वयन के निष्पादन और सीमा में सुधार लाने के लिए इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत निगरानी तंत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, लोकसभा के वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति शामिल हैं।

****